लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1242
11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यातकों के लिए जोखिम कम करने के उपाय

1242. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:
डॉ. विनोद कुमार बिंद:
श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वस्त्र मंत्रालय और मोडीफाइ इंडिया के बीच सहयोग के उद्देश्यों और परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सहयोग किस प्रकार से विशेष रूप से वस्त्र और हथकरघा क्षेत्रों में छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) को लाभ पहुंचाता है जो प्राय: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु वित्तीय संसाधनों तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते है;

(ग) क्या निर्यातकों के लिए विशेष रूप से मुद्रा में उतार-चढ़ाव, निर्यात बाजारों में राजनीतिक अस्थिरता या भुगतान चूक के जोखिम को कम करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख): वस्त्र मंत्रालय और मोडीफाइ इंडिया के बीच ऐसा कोई सहयोग नहीं है।

(ग) और (घ): वस्त्र मंत्रालय निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यात के जोखिम को कम करने के लिए, वस्त्रों के निर्यात निष्पादन की निरंतर निगरानी कर रहा है और वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग संघों के परामर्श से उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है।

विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.55 के अनुसार

(i) सरकार के लिए निर्यात ऋण एजेंसियाँ (ईसीए) निर्यात को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत साधन हैं। ईसीए बीमा, गारंटी और प्रत्यक्ष उधार भी देकर निर्यात को बढ़ावा देती हैं। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) जैसी निर्यात ऋण एजेंसियाँ (ईसीए) निर्यात और निर्यात ऋण उधार के लिए ऋण बीमा सहायता प्रदान करती हैं। ईसीजीसी द्वारा निर्यातकों को जारी किए गए कवर, दिवालियापन या खरीदारों की चूक या राजनीतिक जोखिमों के कारण भुगतान विफलताओं से होने वाले नुकसान से बचाव करते हैं। निर्यातक ऐसे कवर के माध्यम से मौजूदा बाजारों की सुरक्षा के अलावा अपने बाजारों में विविधता ला सकते हैं। ईसीजीसी परियोजना निर्यात सहित मध्यम और दीर्घकालिक (एमएलटी) निर्यात को भी बढ़ावा देती है। एक्जिम बैंक एक अन्य ईसीए है जो एमएलटी निर्यात के लिए उधार देने और सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट को आगे बढ़ाने का काम करती है।

(ii) ईसीजीसी निर्यात व्यापार में खरीदार के दिवालिया होने या भुगतान में चूक के कारण निर्यातकों को हुए नुकसान की भरपाई करता है। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक जोखिम जैसे युद्ध, आकस्मिक आयात प्रतिबंध, शिपमेंट होने के बाद कानून या डिक्री की घोषणा के कारण होने वाले नुकसान भी कवर किए जाते हैं। शिपमेंट के बाद शुरू किए गए कुछ एंटी-डंपिंग उपाय या गैर-टैरिफ बाधाएं राजनीतिक जोखिम के दायरे में आएंगी। ऐसे मामलों में निर्यातकों के हितों की रक्षा ईसीजीसी द्वारा की जाती है।

इसके अलावा, सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन और उनमें भागीदारी के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा कार्यान्वित बाजार पहुंच पहल योजना के अंतर्गत विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

*****